राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4109/2025

गुरूमुख यादव

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 11.09.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–।। विषय गणित–विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानपुरा लॉज, ब्लॉक नारायणपुर जिला अलवर के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 22.7.2025 से अपीलार्थी को अधिशेष दर्शाकर वर्तमान पदस्थापन स्कूल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खारवा ब्लॉक नाराणपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानपुरा लॉज ब्लॉक नारायणपुर जिला अलवर में किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उक्त आलौच्य आदेश प्रत्यर्थी विभाग के दिशा–निर्देशों की अवहेलना में जारी किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी आलौच्य में अपीलार्थी का नाम क.सं. 39 पर अंकित है। (अनुलग्नक–1) उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 22.7.2025 की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23. 7.2025 को कार्यमुक्त कर दिया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.7.2025 की पालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानपुरा लॉज ब्लॉक नारायणपुर जिला अलवर में कार्यग्रहण कर लिया है। (अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 16.7.2025 जारी कर समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों का निर्देशित कर अधिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने के दिशा–निर्देश दिए है। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान कार्यरत ब्लॉक गोविंदगढ में नहीं किया जाकर अन्यंत्र दूरस्थ ब्लॉक में किया गया है। आलौच्य आदेश दिनांक 16.7.2025 की फोटो प्रति प्रदर्श 4 है।

4 यह कि अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2012 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों के तहत जिला परिषद, अलवर की जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के उपरांत आदेश दिनांक 21. 9. 2012 के द्वारा हुई है। नियुक्ति आदेश दिनांक 21.9.2012 की पालना में अपीलार्थी ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खारवा जिला अलवर में कार्यग्रहण किया था। अपीलार्थी प्रथम कार्यग्रहण दिनांक से ही उक्त विद्यालय में निरंतर कार्यरत रहा है। नियुक्ति आदेश दिनांक 21.9.2012 की फोटो प्रति प्रदर्श 5 है।

5. यह कि प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खारवा ब्लॉक बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड हिंदी माध्यम से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किया गया था। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किये जाने के कारण अपीलार्थी को अधिशेष कर दिया गया है।

6. यह कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 5.8.2023 के द्वारा कोटपूतली–बहरोड नया जिला गठित किया गया था और राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खारवा ब्लॉक नारायणपुर वर्तमान में कोटपूतली–बहरोड जिलें में सम्मिलित है लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.7.2025 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानपुरा लॉज ब्लॉक नारायणपुर जिला अलवर में

ख्3रू15 च्ड, 9ध्12ध्2025, □रू किया गया है। जबकि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खारवा स्कूल राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 5.8.2023 के पश्चात् कोटपूतली–बहरोड जिले में सम्मिलित है और अपीलार्थी का पदस्थापन ६ स्थानान्तरण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कोटपूतली–बहरोड ही नियमानुसार करने के लिए सक्षम है लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलीच्य आदेश दिनांक 22.7.2025 से अपीलार्थी का पदस्थापन करने के लिए सक्षम नहीं है आलौच्य आदेश से अपीलार्थी का पदस्थापन ध्स्थानान्तरण जिले से बाहर किया गया है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 3 अपीलार्थी का स्थानान्तरण ६ पदस्थापन किये जाने के लिए सक्षम नहीं है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.7.2025 नियम विरूद्ध क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया गया है। इस आधार पर आलौच्य आदेश दिनांक 22.7.2025 अपास्त किये जाने योग्य है। अधिसूचना दिनांक 5.8.2025 की फोटो प्रति प्रदर्श–6 है।

यह कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 22.7.2025 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन कोटपूतली–बहरोड से अलवर जिलें में किया गया

है। आलौच्य आदेश से अपीलार्थी का जिला परिवर्तित हुआ है। जबकि नियमानुसार अपीलार्थी का एक जिलें से दूसरे जिलें में स्थानान्तरण नही किया जा सकता है और एक जिले से दूसरे जिलें में स्थानांतरण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी समक्ष अधिकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त आलौच्य आदेश नियम विरूद्ध एवं असक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

यह कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.7.2025 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया है। जबकि अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान पंचायतीराज विभाग का कार्मिक है। जिसके कारण अपीलार्थी का उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

ख्3रू16 च्ड, 9ध्12ध्2025, □रू यह कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 22.7.2025 प्रतिबंध की अवधि में जारी किया गया है। राज्य सरकार ने दिनांक 15.1.2025 से राज्य सरकार के अधिकारियों ६ कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगा रखा है उक्त प्रतिबंध वर्तमान में भी प्रभावी है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उक्त आलौच्य आदेश जारी करने से पूर्व एवं आलौच्य आदेश में सक्षम स्तर से अनुमति लिये जाने का भी कोई उल्लेख नही किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आलौच्य आदेश प्रतिबंध की अवधि में जारी किया गया है। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. यह कि प्रत्यर्थी विभाग ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर नियम विरूद्ध अपीलार्थी को अधिशेष किया गया है और उसे अन्यंत्र स्कूल में पदस्थापित किया जा रहा है। प्रत्यर्थी संख्य 3 बिना काउसंलिंग एवं वरियता निर्धारित किये बिना ही आलौच्य आदेश जारी किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण की समस्त कार्यवाही नियम विरूद्ध, मनमानी, विरोधाभासी है। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

11. यह कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अधिशेष शिक्षकों के पदस्थापन किये जाने से पहलें जिलें की स्कूलों के रिक्त पदों को नही दर्शाया गया है। रिक्त पदों को दर्शाए बिना एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाएं बिना ही मनमाने तरिके से पदस्थापन किया है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने पारदर्शीता से सभी रिक्त पदों को दर्शाकर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन किया जाना चाहिए था लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 ने बिना कोई

प्रकिया अपनाए ही मनमर्जी से पदस्थापन किया है। जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

12. यह कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 22.7.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.7.2025 प्रारम्भतः ही अवैध, अनुचित, मनमाना व दुर्भावनापूर्ण एवं बिना प्रशासनिक आवश्यकता के जारी किया गया है। जिस कारण आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

ख3रू16 च्ड, 9ध12ध्2025, □रू यह कि अपीलार्थी ने उक्त आलौच्य आदेश की पालना में स्थानांतरित स्कूल में कार्यग्रहण नहीं किया है।

14. यह कि अन्य उजरात बरवक्त बहस मौखिक रूप से अर्ज किये जावेंगे।

मूलतः अपील प्रार्थना कर प्रार्थना है किः—

प. अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 22.7.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.7.2025 (प्रदर्श—1 एवं 2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाने की कृपा करें।

पप. प्रत्यर्थीगण को आदेशित कर अपीलार्थी को पूर्ववर्ती पदस्थापन स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खारवा जिला कोटपूतली बहरोड में निरंतर कार्यरत रखा जावें तथा वेतन का भूगतान भी वर्तमान पद से ही आहरित करवाने के आदेश फरमाया जावें।

पपप. प्रत्यर्थीगण को आदेशित कर अपीलार्थी को नियमानुसार कोटपूतली बहरोड जिलें की स्कुल में पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

पअ. खर्चा अपील दिलाया जावें।

ट. अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।

जयपुर

दिनॉक

जरिए अधिवक्ता

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से शिथिलन/अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात जारी किया गया है। साथ ही आलौच्य आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने विचाराधीन याचिका डी.बी.हैबियर्स कॉपर्स पिआीशन संख्या 39/2019 में दिनांक 19.05.2025 को दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किया गाय है, जिससे स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम जारी किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 06.12.2024 से कार्यरत है। आलौच्य आदेश में किसी प्रकार की दुर्भावना या नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है और आलौच्य आदेश प्रशासनिक जरूरतों के दृष्टिगत जारी किया गया है। अतः आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी मय स्थग्न प्रार्थना पत्र इसी प्रकरण पर अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष